

कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी
पत्रांक- 1959 / 33-1 / दिनांक, जनवरी, 11, 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लिमिटेड, झांसी द्वारा 200mm Dia कार्बन स्टील पाईप लाईन बिछाने हेतु झांसी-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं०- 27 के कि०मी० सं०- 86 से 93.500 (कुल 7.500 कि०मी०) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे० संरक्षित वन भूमि एवं झांसी- ग्वालियर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-44 के कि०मी० संख्या-6.50 से 18.200 (कुल 11.700 कि०मी०) तक प्रभावित 0.351 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 0.576 हे० संरक्षित वन भूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल प्रभावित 0.636 हे० वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/143751/2021।

- संदर्भ - 1. अनुसचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक- पी-340/81-2-2022-800 (339), दिनांक 28.10.2022।
2. आपका पत्रांक-1508/11-सी FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक-28.10.2022
3. आपका पत्रांक-2254/11-सी FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक-05.01.2023
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक-2658/15-1, दिनांक 11.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 11.01.2023 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संस्तुति सहित संशोधित अभिलेख सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किये हैं जिनके परीक्षणोपरान्त संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

- संलग्नक- 1. संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक-2658/15-1, दिनांक 11.01.2023।

भवदीय

(कैलाश प्रकाश)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या- 1959 / समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कैलाश प्रकाश)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2658 /15-1
सेवा में,

दिनांक, झांसी, जनवरी 11, 2023

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्दलेखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी ।

विषय:- जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि०, झांसी द्वारा 200 MM Dia कार्बन स्टील पाइप लाइन बिछाने हेतु झांसी-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 27 के किमी० सं० 86 से 93.500 (कुल 7.500 किमी०) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे० संरक्षित वनभूमि एवं झांसी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 44 के किमी० सं० 6.50 से 18.200 (कुल 11.700 किमी०) तक प्रभावित 0.351 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल प्रभावित 0.636 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

संदर्भ:- अनु० सचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक पी-340/81-2-2022-800(339), दिनांक 28.10.2022 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-1508/11सी/FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक 28.10.2022 एवं 2254/11सी/FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक 05.01.2023 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा 02 बिन्दुओं की आपत्तियां दर्शायी गयी है। उक्त आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति पत्रावली सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्तियों का निराकरण/अभिलेख संस्तुति सहित 03 प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें, आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	प्रस्ताव की कमियां	निराकरण
1	उ०प्र० शासन के बिन्दु सं०-6 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पाइप लाइन के बिछाये जाने में 0.576 हे० आरक्षित वनभूमि जिसका भू-स्वामित्व एन०एच० है, जो कि त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रकरण में 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि का स्वामित्व एन०एच० दर्शाया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आरक्षित वनभूमि का स्वामित्व एन०एच० का नहीं हो सकता है। अतः वनभूमि की सही कानूनी स्थिति एवं भू-स्वामित्व अंकित करें।	विषयांकित प्रस्ताव में पाइप लाइन के बिछाये जाने में 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि प्रभावित होगी जिसका भू-स्वामित्व एन०एच० है एवं 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि प्रभावित होगी, जिसका भू-स्वामित्व वन विभाग है।
2	उ०प्र० शासन के बिन्दु सं०-8 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा लीज अवधि प्रमाण पत्र में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की वचनवद्धता उपलब्ध करायी गयी है, किन्तु ऑनलाइन पार्ट-1 के A-1(x) में 99 वर्ष ही अंकित है। अतः ऑनलाइन पार्ट-1 के A-1(x) में 30 वर्ष फीड करें।	ऑनलाइन पार्ट-1 के A-1(x) में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष फीड कर दिया है। ऑनलाइन पार्ट-1 की प्रति संलग्न है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में ।

भवदीय
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी